

143
17 MAY 2017

DD (Sec)

13-11-17

ई-मेल/आज ही जारी हो /

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (गुप-5) विभाग

क्रमांक प.9 (1) शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016

जयपुर दिनांक 04-01-2017

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।

विषय :- निजी स्कूलों की मान्यता के संबंध में भूमि रूपान्तरण नियम के क्रम में ।
सन्दर्भ :- राजस्व (गुप-6) विभाग द्वारा भू-रूपान्तरण संबंधित जारी अधिसूचना
दिनांक 06.10.16

महोदय,

विभागीय पत्र क्रमांक प. 9(2) शिक्षा-5/2010 दिनांक 03.07.2012 द्वारा जारी कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 4 में यह स्पष्ट किया गया था कि निजी शैक्षिक संस्थाओं में खेल मैदान की भूमि व खेल भवन की भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) रूपान्तरण शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता देने से पूर्व ही सुनिश्चित किया जावे ।

राजस्व विभाग से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय संचालन के संबंध में अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 में निम्नांकित बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई :-

1. क्या ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूमि पर विद्यालय संचालन किया जा सकता है ?
2. क्या खातेदारी भूमि पर विद्यालय संचालन खातेदार या अन्य द्वारा करने हेतु भू-रूपान्तरण आवश्यक नहीं है ।


राजस्व (गुप-6) विभाग, द्वारा बिन्दुवार टिप्पणी निम्नानुसार प्रेषित की है :-

1. ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूमि पर विद्यालय संचालित किया जा सकता है ? इस संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि आवासीय भूमि ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित आबादी भूमि है अथवा खातेदार द्वारा अपनी कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने पर प्रयोजन परिवर्तन का है । यदि ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित आवासीय भूमि है तो इस पर राजस्व विभाग के संपरिवर्तन नियम लागू नहीं होते हैं ।
2. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम, 2007 में एक एकड़ क्षेत्रफल तक संस्थानिक प्रयोजन यथा विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं होने का प्रावधान अधिसूचना क्रमांक एफ.6(26)राजस्व-6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 द्वारा किया गया है । अतः ग्रामीण क्षेत्र में खातेदारी भूमि पर एक एकड़ तक संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

राजस्व विभाग की टिप्पणी से यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में खातेदारी भूमि पर एक एकड़ तक संस्थानिक प्रयोजन यथा विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तथा बिन्दु संख्या एक में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूमि पर विद्यालय संचालित किया जा सकता है ।

अतः मान्यता देते समय भूमि रूपान्तरण की शर्त के संबंध में इस स्पष्टीकरण का ध्यान रखा जावे ।

भवदीय,


(उपमाशंकर विभागीय)